

जनवारीलाल - मालाराम आदि 98/2013

दिनांक	आज्ञा पत्र
23-5-18	पनायती पत्र, कबि-उच्च क्र. 39 वास्तु बहूष दिनांक 18-7-18 को पत्र एवं म
19-7-18	बार-बार कोर्ट में दिनांक 30.6। अपीलेंट एवं अपीलेंट के वकील कोर्ट में हाजिर नहीं होये। अतः कोर्ट द्वारा एवं कोर्ट में पत्र साबित होने से कोर्ट में प्रविष्ट की जाती है। पगावल बाद तुरंत तकमील हारिवल सह्यमेव हेजयते निर्णय हुकाम वास



Web Copy - Not Official

प्रधान अधिकारी एवं
अपील अधिकारी
सीकर